



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं. डब्ल्यू.एस.यू/ टी.डी.एस मामले/ ई-772040/ 2026-27/II

दिनांक: 13/04/2026

सेवा में,

सभी अपर कें.भ.नि.आ (अंचल),

सभी क्षेत्रीय भ.नि आयुक्त

क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी

विषय: नए आयकर अधिनियम, 2025 का कार्यान्वयन - टीडीएस-मुक्त आय के लिए फॉर्म 15 जी/15 एच के स्थान पर समेकित फॉर्म 121 में संक्रमण - संबंधित।

महोदया/महोदय,

पुराने आयकर अधिनियम, 1961 के क्रमिक समापन और 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 2025 की शुरुआत के साथ, बिना कर कटौती वाली आय की घोषणा के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। नए विनियामक ढांचे के तहत, पूर्ववर्ती फॉर्म 15 जी और फॉर्म 15 एच को फॉर्म 121 में एक एकल, समेकित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। घोषणाकर्ता, जो एक निवासी है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्ष के लिए उसका अपेक्षित अंतिम कर दायित्व शून्य है और वह फॉर्म संख्या 121 के भाग 'क' की सभी पंक्तियों को विधिवत भरे और उस पर हस्ताक्षर करे। फॉर्म संख्या 121 के भाग 'ख' में आवश्यक विवरण कार्यालय यानी भुगतानकर्ता द्वारा भरे जाने हैं। हालांकि, फॉर्म संख्या 121 भरना अनिवार्य नहीं है और इसका उपयोग केवल उन करदाताओं द्वारा किया जाना है जो स्रोत पर कर की कटौती नहीं कराना चाहते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय को (भुगतानकर्ता के रूप में) प्राप्त प्रत्येक फॉर्म 121 के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या (यू.आई.एन) आवंटित करनी होगी। इस यू.आई.एन में अनुक्रम संख्या, कर वर्ष और भुगतानकर्ता का टी.ए.एन जैसे घटक शामिल होने चाहिए। एक महीने में प्राप्त सभी फॉर्म 121 का समेकित विवरण अगले महीने की 7 तारीख को या उससे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जाना आवश्यक है और फॉर्म संख्या 140 में त्रैमासिक टीडीएस रिटर्न में यू.आई.एन का उल्लेख करना आवश्यक है।

सूचना प्रणाली प्रभाग से अनुरोध किया गया है कि वे घोषणाकर्ता सदस्यों को फॉर्म संख्या 121 को डिजिटल रूप से ई-साइन करने और ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा प्रदान करें। जब तक ऐसी

सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तब तक घोषणाकर्ता सदस्यों द्वारा फॉर्म 15 जी/15 एच के बदले अपलोड किए गए फॉर्म संख्या 121 के भौतिक हस्ताक्षरित फॉर्मों का उपयोग आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर मासिक अपलोडिंग के साथ-साथ त्रैमासिक टीडीएस रिटर्न के लिए समेकित विवरण तैयार करने हेतु किया जा सकता है। इसी प्रकार, प्रत्येक फॉर्म संख्या 121 के लिए यू.आई.एन को 01/04/2026 से रनिंग-नंबर के अनुसार जनरेट करना आवश्यक है और बाद में इस रनिंग नंबर को आई.एस.डी द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन कार्यक्षमता के माध्यम से जारी रखा जा सकता है।

यू.आई.एन का न होना या गलत रिपोर्टिंग के साथ नए आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करना, उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंड को आकर्षित कर सकता है। इसलिए, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन दिशा-निर्देशों को बिना किसी चूक के लागू किया जाए, ताकि नए आयकर अधिनियम के किसी भी विनियामक विसंगति से बचा जा सके।

इस संबंध में जो आयकर विभाग की वेबसाइट (<https://www.incometaxindia.gov.in/documents/d/guest/fn-121>) पर फॉर्म संख्या 121 पर विस्तृत नोट (5 पृष्ठ) उपलब्ध है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (2 पृष्ठ) और फॉर्म संख्या 121 का प्रोफार्मा (3 पृष्ठ) त्वरित संदर्भ और अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न हैं।

तदनुसार, सभी आंचलिक कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे सभी पात्र सदस्यों को फॉर्म 15G/15H के स्थान पर विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म 121 अपलोड करने के लिए जागरूक करें। इसके अतिरिक्त, 01/04/2026 से फॉर्म 15जी/एच के साथ पहले से दाखिल किए गए दावों को इस उद्देश्य के लिए वापस नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि संबंधित सदस्य से संपर्क करके फॉर्म 121 प्राप्त किया जाना चाहिए।

संलग्नक: यथोपरि

(केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी)



(रोली शुक्ला माल्गे)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी